बीआरकेजीबी इच्छा शक्ति जमा योजना

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
(i)	**योजना का नाम**	**बीआरकेजीबी इच्छा शक्ति जमा योजना** **BRKGB Ichchha Shakti Jama Yojna (ISJY)**
(ii)	**पात्रता / लक्ष्य समूह**	योजना के तहत एकल व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से या उनमें से किसी एक को अथवा जीवित के अनुदेश के साथ, वेतन भोगी, क्लब, एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्था, साझेदारी फर्म अथवा संयुक्त स्कन्ध कम्पनी आदि खाता खोल सकते हैं। 10 वर्ष या अधिक उम्र के नाबालिग के नाम से अथवा नाबालिग के नाम से उसके माता पिता को अभिभावक बनाकर भी खाता खोला जा सकता है।
(iii)	**स्कीम कोड**	इस योजना के तहत खाते **SB 123** में खोले जाएंगे।
(iv)	**राशि**	योजना के अन्तर्गत जमाकर्ता को स्थायी मासिक किश्त एवं अवधि का चयन करना होगा। न्यूनतम मासिक किश्त की राशि ₹ 100/- अथवा उससे अधिक ₹ 100/- के गुणकों में हो सकती है। किसी भी माह में निर्धारित मासिक किश्त के 10 गुना तक राशि जमा करायी जा सकती है। खाते में माह में एक बार से अधिक राशि जमा नहीं की जा सकेगी।
(v)	**अवधि**	खाते की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
(vi)	**ब्याज दर**	खाता खोलने की तिथि पर समान अवधि हेतु सावधि जमाओं पर लागू ब्याज दर प्रभावी होगी। वरिष्ठ नागरिकों (उम्र 60 वर्ष या अधिक) को 0.50 प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। स्टाफ सदस्यों की आवर्ती जमाओं पर 1.00 प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। वरिष्ठ नागरिक स्टाफ सदस्यों को 1.50 प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
(vii)	**ब्याज की गणना**	ब्याज की गणना बचत बैंक खातों की तरह दैनिक गुणनफल के आधार पर की जायेगी। ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होगा।
(viii)	**परिपक्वता पूर्व भुगतान**	जमा खाते की निर्धारित परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान हेतु ब्याज की गणना जमा राशि बैंक में बनी रही अवधि के लिए लागू ब्याज दर में से 1 प्रतिशत कम कर की जाये।
(ix)	**ऋण / अधिविकर्ष सुविधा**	इस जमा योजना में जमा खाते में बकाया शेष राशि की 90 प्रतिशत सीमा तक ऋण / अधिविकर्ष सुविधा दी जा सकती है, जो न्यूनतम ₹ 1000/- होनी चाहिए। ऋण राशि पर ब्याज, बैंक में सावधि जमा के विरूद्ध ऋण हेतु निर्धारित ब्याज दर से देय होगा।
(x)	**अन्य बिन्दु**	1. खाता खोलने वाला व्यक्ति निर्धारित फार्म भरकर हस्ताक्षरित कर इस घोषणा के साथ कि उसने योजना के सभी नियम पढ़ लिये हैं एवं उन्हें पालन करने हेतु आबद्ध रहेगा, खाता खोल सकता है। 2. खाताधारक से फोटोग्राफ प्राप्त किया जाएगा। 3. खाता धारक को इस योजनान्तर्गत खोले गये खाते हेतु पासबुक जारी की जायगी। 4. किसी माह किश्त जमा न होने पर कोई दण्ड प्रभारित नही होगा क्योंकि ब्याज की गणना दैनिक गुणनफल आधार पर होती है। 5. जमाकर्ता को किश्त मासिक आधार पर जमा करानी होगी। चूक की स्थिति में अगले माह में दो माह की किस्त जमा नहीं करायी जा सकेगी। 6. यह योजना आवर्ती जमा योजना के समकक्ष है अतः इसमें ब्याज पर स्त्रोत पर आयकर कटौती नही की जायेगी। 7. खाते में बैंक नियमानुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है। 8. जिस खाते में पिछले तीन माह से किश्त राशि जमा नही की गयी है, बैंक को ऐसे खाते को विधिवत नोटिस देकर बन्द करने का अधिकार होगा। 9. संयुक्त खातों में संयुक्त जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु होने पर मृतक खातेदार को भुगतान के संबंध में अपनायी जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की पालना की जाएगी। 10. खाते के परिपक्व होने पर परिपक्वता राशि जमाकर्ता के (भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में) बचत खाते में अन्तरित की जायेगी तथा जमाकर्ता को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा। 11. यदि खाता 12 माह से पूर्व बन्द हो जाता है तो बैंक नियमानुसार प्रभार वसूल किया जायेगा।